हर किसी से नर्मता से बात करो, मीठा बोलने वाला कभी हारता नहीं है।
– अज्ञात

महज एक घुसपैठिया

असम के लोगों को संदेह है कि यह संशोधन एनआरसी से पैदा हुई समस्याओं को सुलझाने के बजाय और उलझाने वाला है। उनकी लड़ाई असम से घुसपैठियों को बाहर करने की रही है और उनकी नजर में घुसपैठिया हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं, महज एक घुसपैठिया है।

सुशील राणा

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। पिछली लोकसभा में आया यह बिल उसका कार्यकाल खत्म होने के कारण निष्प्रभावी हो गया था। अब इसे जल्द ही संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। यह विधेयक नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रावधानों को बदलने के लिए पेश किया गया है और इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता हासिल करने के नियम को आसान बनाया गया है।

अभी किसी विदेशी नागरिक को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए पिछले 11 वर्षों से लगातार यहां रहना अनिवार्य है। विधेयक में ऊपर बताए गए लोगों के लिए इस अवधि को एक से 6 साल कर दिया गया है। नागरिकता कानून में बदलाव के इस प्रस्ताव का पूर्वोत्तर राज्यों में कड़ा विरोध हो रहा है। कारण यह कि इसमें अवैध घुसपैठ को धर्म के आधार पर बांटने की बात है। विधेयक के अनुसार बांग्लादेशी मुसलमान तो अवैध माना जाएगा पर बांग्लादेशी हिंदू देश का वैध नागरिक हो जाएगा। असम के लोगों को संदेह है कि यह संशोधन एनआरसी से पैदा हुई समस्याओं को सुलझाने के बजाय और उलझाने वाला है। उनकी लड़ाई असम से घुसपैठियों को बाहर करने की रही है और उनकी नजर में घुसपैठिया हिंदू, मुसलमान या ईसाई नहीं, महज एक घुसपैठिया है।

1980 के दशक में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) की अगुआई में हुए छात्रों के आंदोलन में यह मुद्दा उन्होंने बड़े पैमाने पर उठाया। 1985 के असम समझौते के दो दशक बाद अंततरू 2005 में केंद्र, राज्य सरकार और आसू के बीच असमी नागरिकों के कानूनी दस्तावेजीकरण पर सहमति बनी और अदालत के हस्तक्षेप से इसका एक व्यवस्थित रूप सामने आया। इसके तहत 1971 के बाद आए सभी शरणार्थियों को वापस भेजने का निर्णय हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि मौजूदा केंद्र सरकार की रुचि सिर्फ मुस्लिम शरणार्थियों को चिह्नित करने और बाकियों को अपना वोट बैंक मानकर यहीं बसाए रखने में है। यही वजह है कि बीजेपी के असमिया नेताओं ने भी इस बिल के खिलाफ कमर कस रखी है और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस मसले पर इस्तीफे तक की धमकी दी है।

विपक्षी दलों का तर्क है कि भारत का वर्तमान नागरिकता कानून भारतीय नागरिकता चाहने वालों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता और किसी को अलग से रियायत भी नहीं देता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पर खड़ी है, जो इस संशोधन बिल से खंडित होती है। सरकार का कहना है कि उसकी कोशिश पड़ोस के इस्लामी देशों में धार्मिक आधार पर पीड़ित अल्पसंख्यकों को राहत पहुंचाने की है। साफ है कि यह बिल एक बड़े सियासी टकराव का सबब बनने जा रहा है।

लोकसभा में इसका आसानी से पारित हो जाना तय है, लेकिन राज्यसभा में सरकार अपने बहुमत को लेकर आश्वस्त नहीं है और वहां इसका पास होना आसान नहीं होगा। अगर बीजेपी इसका कोई जुगाड़ कर भी ले तो पूर्वोत्तर की उलझन को वह कैसे सुलझाती है, यह देखने वाली बात होगी।

आनंद का अनुभव

धर्म-दर्शन

संगम। भाग्यवश, वो सारे संत और महात्मा जिन्होंने आगे तक की यात्रा की है, उन्होंने अभिलेख के रूप में अपना अनुभव हमारे लिये छोड़ा है. वो वर्णन करते हैं कि हमारी आत्मा भगवान के एक बूंद के समान है. आध्यात्म के रूप में, 'ध्यान' ही वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आत्मा को अपने संपर्क में लाया जा सकता है. इस संसार में हम जिसे अपनी चेतन अवस्था समझते हैं, वह आध्यात्म के उत्कृष्ट चेतना अवस्था की तुलना में एक सुसूप्तावस्था है. यह बौद्धिक ज्ञान नहीं है. इस आंतरिक ज्ञान तक पहुंचकर हम जीवन को एक नये दृष्टिकोण से देखते हैं. हमें यह एहसास होता है कि यह दुनिया एक अस्थायी घर है और जब हम एक गुरु की मदद से आध्यात्मिक रूप से जागते हैं तो हमें अपनी आध्यात्मिक प्रकृति और सच्चे घर का ज्ञान हो जाता है. इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान, आत्मा वास्तविक आनंद, प्रेम और चेतना के क्षेत्र में पहुंच जाती है।

संपादकीय

अभिव्यक्ति की हद

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विवादित टिप्पणी लिखने और विडियो शेयर करने के मामले में गिरफ्तार पत्रकार प्रशांत कनौजिया को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया लेकिन उन पर केस चलता रहेगा। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि हम पत्रकार के ट्वीट की सराहना नहीं करते लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अदालत ने यूपी सरकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की याद दिलाई और कहा कि लोगों की आजादी से कोई समझौता संभव नहीं है। यह संविधान की ओर से दिया गया अधिकार है जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रशांत की पत्नी जगीशा अरोड़ा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इस गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। कोर्ट का यह फैसला प्रशासन के लिए एक सख्त संदेश है।

पिछले कुछ समय से देशभर में सोशल मीडिया पर राजनेताओं के खिलाफ टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी के मामले बढ़ गए हैं। पुलिस ऐसे लोगों से अपराधियों जैसा सलूक करने लगी है जबकि सोशल मीडिया पर विवादित टिप्पणी के लिए आईपीसी व अन्य कानूनों के तहत प्रावधान मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट 2015 में ही आईटी ऐक्ट की धारा 66ए को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर चुका है। यह धारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को गिरफ्तार करने की शक्ति देती थी। जाहिर है, अब इस मामले में सामान्यतया किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता।

बहरहाल, सोशल मीडिया पर बढ़ते विवाद के लिए आज का राजनीतिक माहौल भी कम जवाबदेह नहीं है। पिछले कुछ समय से सियासी कटुता बहुत बढ़ी है।

आतंकी ढांचे अपनी जगह पर बने हुए हैं और सीमा पार से घुसपैठ पर रोक नहीं लग पाई है। एक आतंकी संगठन को कमजोर किया जाता है तो दूसरा सक्रिय हो जाता है।

आतंकी हमले से चिंता बढ़ी

बसंत भट्ट

जम्मू–कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ के गश्ती दल पर हुए आतंकी हमले ने चिंता बढ़ी दी है। हमले में सीआरपीएफ के पांच जवान शहीद हुए हैं। इस साल फरवरी में पुलवामा हमले के बाद चलाए गए बड़े अभियान में कई आतंकी मारे गए लेकिन कुछ दिनों की शांति के बाद स्थितियां फिर गड़बड़ाती दिख रही हैं। कई जगहों पर छिटपुट मुठभेड़ें हुई हैं और कुछ मामलों में भीड़ की पत्थरबाजी भी देखने को मिली है। इस तरह हालात एक बार फिर पुराने मुकाम पर ही लौटते नजर आ रहे हैं।

पिछले दिनों राज्य में राष्ट्रपति शासन छह महीने और बढ़ाने का फैसला हुआ है। माना जाता है कि राष्ट्रपति शासन में सरकारी अमला सामान्य स्थितियों से कहीं ज्यादा मुस्तैद होता है लेकिन अभी के हालात ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहे। सेना और सुरक्षाबलों के सतत प्रयासों के बावजूद आतंकी ढांचे अपनी जगह पर बने हुए हैं और सीमा पार से घुसपैठ पर रोक नहीं लग पाई है। एक आतंकी संगठन को कमजोर किया जाता है तो दूसरा सक्रिय हो जाता है। अनंतनाग के हमले की जवाबदेही पाकिस्तान स्थित अल–उमर–मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन

ने ली है जिसने मुश्ताक जरगर को अपना सरगना बताया है। यह आतंकी बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी निशाने पर था। 1999 में आईसी–814 के अपहृत विमान यात्रियों को छोड़ने के बदले भारत सरकार ने उसे रिहा किया था। घटना को जिस तरह से अंजाम दिया गया, उसमें लोकल इंटेलिजेंस की कमी झलक रही है। सचाई यह है कि घाटी के ग्रामीण इलाकों में अब भी आतंकियों की पैठ बनी हुई है जिसकी बड़ी वजह वहां उनका खौफ है। पिछले दिनों आतंकियों ने कुछ लोगों को सिर्फ इस संदेह में मार दिया था कि वे दहशतगर्दों की सूचना सुरक्षाबलों को देते हैं। जाहिर है, आतंक के खिलाफ लड़ाई में जनता का सहयोग लेना ही सबसे बड़ी चुनौती है। आम कश्मीरियों का विश्वास जीतने के लिए सरकार वहां विकास कार्यों को गति देने में जुटी है।

पिछले दिनों इस संबंध में कई अहम फैसले किए गए हैं, जैसे श्रीनगर और जम्मू के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन रीजनल डिवेलपमेंट अथॉरिटीज की स्थापना, 50,000 नए घरों के साथ आईटी सेंटर के रूप में ग्रेटर जम्मू और ग्रेटर श्रीनगर का निर्माण। डल झील के सौंदर्यीकरण की विस्तृत योजना बनाई गई है जिसके तहत नए फुटपाथ बनेंगे, रोशनी लगाई जाएगी और संगीतमय झरने बनाए जाएंगे। जम्मू और श्रीनगर में चौबीसों घंटे पानी की सप्लाइ सुनिश्चित करने और दोनों शहरों में प्रदूषणमुक्त ई–बसें चलाने के फैसले भी लिए गए हैं। इन योजनाओं को जल्द से जल्द अमल में उतारा जाना चाहिए और विधानसभा चुनाव में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। बेहतर होगा कि किसी न किसी रूप में पाकिस्तान से संवाद भी शुरू हो ताकि वहां की सरकार पर आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाया जा सके।

अष्टयोग-4891

3		4	6	7		
2	33		36		27	
	6	5		3	2	1
4	30		27		31	6
	2		4			7
6	36	6	32	4	34	
5		7			3	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 4890 का हल

3	7	6	1	2	4	5
2	33	1	23	6	33	6
5	7	2	4	1	6	3
4	28	4	27	4	36	4
1	2	3	4	5	6	7
6	37	7	38	7	33	2
7	6	5	4	3	2	1

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

वक्त की जरूरत है बेटरी चलित वाहन!

लिमटी खरे। दुनिया की आबदी जिस द्रुत गति से बढ रही है, उसे देखकर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि आने वाले समय की कल्पना मात्र से रोंगटे खडे हो रहे हैं। दुनिया के पास महज बीस साल का तेल और सौ साल तक उपयोग करने के लिए कोयले का भंडार बचा है, समय रहते अगर इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हमारी आने वाली पीढियां आधुनिकता का लबादा तो ओढ सकेंगी पर वे जीवन का निर्वाह आदिकाल के संसाधनों में ही करने को मजबूर होंगी। ई वाहनों पर जिस तरह से दुनिया भर की नजरें हैं उसका कारण पर्यावरण संतुलन से ज्यादा इन वाहनों के खत्म होता ईंधन है। आने वाले कल की तस्वीर बहुत ही भयावह नजर आने लगी है। पेट्रोलियम के भंडार के समाप्त होते ही वाहनों के पहिए थम जाएंगे। सुपर सोनिक विमान का अत्याधुनिक वर्जन तो इजाद कर लिया जाएगा पर उसे किससे उडाया जाए यह विकराल समस्या होगी। हवा में तैरने वाली कार या बाईक तो बन जाएंगी पर उन्हें चलाया किससे जाए यह सबसे बडी समस्या होगी।